झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
आपराधिक विधिक याचिका संख्या 312/2014

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची,
अपने रजिस्ट्रार नरेंद्र कुडाडा के माध्यम से

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. श्रीमती किशोर देवी
3. मंटू राज
4. सीटू राज

... विरोधी पक्ष

कोरमः माननीय न्यायधीश श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्ता के लिएः श्री पी.पी.एन रॉय, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री ए. अल्लम, वरिष्ठ अधिवक्ता

राज्य के लिए: श्रीमती कुमारी रश्मि, अतिरिक्त लोक अभियोजक
विरोधी पक्ष संख्या 2 एवं 3 के लिए : श्री एस.बी. देव, अधिवक्ता

11/12.01.2024 ओ.पी. संख्या 4 के लिए नोटिस जारी किया गया है, हालांकि ओ.पी. संख्या 4 उपस्थित नहीं हुआ है, इसलिए यह याचिका उसकी अनुपस्थिति में सुनी जा रही है।

2. याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.पी.एन. रॉय, राज्य के लिए उपस्थित ए.पी.पी.,श्रीमती कुमारी रश्मि, और ओ.पी. संख्या 2 और 3 के लिए उपस्थित अधिवक्ता श्री एस.बी. देव को सुना।

3. यह याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 147 के तहत मामला संख्या एम-582/2004,दिनांक 27.09.2013 को पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके तहत विद्वान कार्यकारी मजिस्ट्रेट, सदर, रांची द्वारा भूमि के उपयोग के संबंध में यथास्थिति प्रदान की गई है।

4. मामला स्वीकार किया गया और इस न्यायालय की समवर्ती पीठ द्वारा स्थगन प्रदान किया गया। वर्तमान याचिका के लंबित रहने के दौरान, विद्वान कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने 23.02.2022 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 147 के तहत एक और आदेश पारित किया, जिसे आई. ए संख्या 10490/2023 के माध्यम से चुनौती दी गई। उक्त आई. ए को 23.11.2023 को आदेश द्वारा अनुमति दी गई, जिसमें विपक्षी पक्षों के अधिवक्ता को ₹5,000/- का खर्च अदा करने का निर्देश दिया गया। इस प्रकार, 23.02.2022 का आदेश भी वर्तमान मामले में चुनौती के अधीन है।

5. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री पी. पी. एन. रॉय ने कहा कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय एक ऐसा संस्थान है जो कृषि, वानिकी और पशु चिकित्सा जैसे तीन संकाय चलाता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त संस्थान को कृषि, वानिकी और पशु चिकित्सा में अनुसंधान कार्य के लिए एक बड़ी भूमि की आवश्यकता थी। उन्होंने आगे कहा कि उक्त भूमि

सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थी। उन्होंने कहा कि कुछ ग्रामीणों ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की सीमा दीवार के दक्षिण में अपने घर बना लिए हैं और उसका नाम मोहल्ला सीतू रखा है। उन्होंने आगे कहा कि विश्वविद्यालय की सीमा दीवार पिछले कई दशकों से है, लेकिन जब चौकीदार दौर पर नहीं होते थे, तो दिन-प्रतिदिन ग्रामीणों द्वारा सीमा दीवार को तोड़कर कुछ ईंटें चुरा ली जाती थीं और कुछ महीनों में, ग्रामीणों ने सीमा दीवार के टूटे हिस्से से प्रवेश और निकास का स्थान बना लिया और सीमा दीवार के निर्माण से पहले घर से लिंक रोड, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची से होते हुए आसान मार्ग के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ।उन्होंने आगे कहा कि पशु चिकित्सालय और मुख्यालय लिंक रोड के मध्य संपर्क मार्ग पहले से ही है, हालांकि, एक छोटी सड़क बनाने के लिए, दीवार को तोड़ दिया है और ग्रामीणों द्वारा संपर्क मार्ग पर टूटी हुई चारदीवारी के एक हिस्से का उपयोग करना शुरू कर दिया है।

6. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि उपरोक्त पृष्ठभूमि में विवाद है और 13.07.2014 को, विद्वान उप-खंड मजिस्ट्रेट, रांची ने गैर-एफआईआर मामला संख्या 04/2004 में, कांके के अधिकारी के रिपोर्ट के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता धारा 144 के तहत कार्यवाही शुरू की, जिसे केस संख्या एम-582/2004 के रूप में पंजीकृत किया गया।उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी पक्षों ने वर्ष 1995 के बाद घर का निर्माण किया है, जबकि विवादित भूमि को सरकार ने वर्ष 1956-57 में अधिग्रहित किया था। उन्होंने आगे कहा कि 02.01.2012 को, तब के कार्यकारी मजिस्ट्रेट यह मानते हुए कि विपक्षी पक्षों के लिए लिंक रोड पर जाने के लिए वैकल्पिक सड़क है उक्त आवेदन को अस्वीकार करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि यह आदेश पक्षों की ओर से प्रस्तुत किए गए सबूतों पर विचार करने के बाद पारित किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि उक्त आदेश को विपक्षी पक्षों द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 27/2012 में चुनौती दी गई, जिसे 17.05.2012 के आदेश द्वारा निपटाया गया, जिसके द्वारा विद्वान जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-VIII, रांची ने मामले को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास वापस भेजा ताकि एक नया आदेश पारित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके अनुसरण करते हुए ही वर्तमान आदेश पारित किया गया है।उन्होंने आगे कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 147 के तहत किसी नए साक्ष्य की अनुपस्थिति में ऐसा आदेश पारित किया गया है, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 148 की अनदेखी करता है। उन्होंने आगे कहा कि मामले में विवादित तथ्यों के प्रश्न शामिल हैं, इसलिए, चुनौती दिया गया आदेश कानून के अनुसार गलत है।

7. ओ.पी. संख्या 2 और 3 के लिए उपस्थित अधिवक्ता श्री देव, ने प्रस्तुत किया कि विपक्षी पक्षों के प्रवेश और निकास में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा हस्तक्षेप किया गया है, जिसे लिंक रोड पर आने के लिए एक सड़क के रूप में उपयोग किया जा रहा था और पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार, उक्त आदेश पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है।

8. राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रीमती कुमारी रश्मि ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश में कोई दोष नहीं है।

9. यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि मामला वर्ष 2012 में पंजीकृत किया गया था और ऐसा आदेश वर्ष 2022 में पारित किया गया। विवाद की प्रकृति को देखते हुए, इस मामले को इस न्यायालय की समवर्ती पीठ द्वारा स्वीकार किया गया और स्थगन प्रदान किया गया। वर्तमान मामले के लंबित रहने के दौरान, 23.02.2022 का आदेश पारित किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144, 145, 146 और 147 के तहत आदेश आपातकालीन प्रकृति के होते हैं और विवाद की प्रकृति को देखते हुए, इस न्यायालय द्वारा स्थगन प्रदान किया गया।

10. दंड प्रकिया संहिता की धारा 144, 145, 146 और 147 के तहत आदेश केवल आपातकालीन प्रकृति के होते हैं और माननीय न्यायालय को यह पता लगाना आवश्यक है कि क्या सड़क का उपयोग किया जा रहा था या नहीं। पहले आदेश दिनांक 02.01.2012 में, तत्कालीन कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने पाया कि लिंक रोड पर जाने का एक और रास्ता है और उन्होंने उक्त याचिका को खारिज करने का निर्णय लिया। पुनरीक्षणीय आदेश के आलोक में, मामला फिर से माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान आदेश पारित किया गया है।

11. यदि ऐसी स्थिति थी और एक बार प्रतिपेक्षण किया गया, तो माननीय न्यायालय को उक्त आदेश पारित करते समय नई रिपोर्ट लेने कीआवश्यक थी। यह आदेश 2004 की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है, जबकि यह आदेश 2022 में पारित किया गया है।

12. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 148 अनुसार, जब धारा 145, धारा 146 और धारा 147 के उद्देश्यों के लिए स्थानीय जांच आवश्यक होती है, तो एक जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट किसी भी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को जांच करने के लिए नियुक्त कर सकता है। वह उसे मार्गदर्शन के लिए आवश्यक समझी जाने वाली लिखित निर्देश भी प्रदान कर सकता है, और यह भी घोषित कर सकता है कि जांच के सभी या किसी भी भाग के आवश्यक खर्चों का भुगतान कौन करेगा। यही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 148 की भावना है।

13. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 148 में "स्थानीय जांच" की परिभाषा न्यायिक कार्यों के प्रतिनिधित्व की कल्पना करती है। विवादित भूमि का केवल सर्वेक्षण करना और उसका मानचित्र तैयार करना इस धारा के तहत स्थानीय जांच नहीं माना जाता, क्योंकि ये न्यायिक नहीं बल्कि पूरी तरह से प्रशासनिक कार्य हैं। ऐसे कार्य मजिस्ट्रेट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति, जैसे कि एक वकील कमिश्नर या यहां तक कि एक अमीन को भी सौंपे जा सकते हैं। धारा 148(2) के तहत ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ी जा सकता है , बल्कि उसे गवाह के रूप में बुलाया जाना चाहिए और उसकी रिपोर्ट के संबंध में परीक्षण और प्रतिपरीक्षण किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया का पालन माननीय न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करते समय नहीं किया है।इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 147 के तहत आदेश वह है जो किसी कार्य को करने की अनुमति देता है या निर्देश देता है कि कोई कार्य नहीं किया जाएगा। यह धारा मजिस्ट्रेट को केवल शुद्ध घोषणात्मक आदेश देने की अनुमति नहीं देती। यह केवल उसे किसी व्यक्ति द्वारा वास्तव मे किए गए अधिकारों में मनमाने हस्तक्षेप को रोकने के लिए सक्षम बनाती है, जिन्हें जनता या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा प्रयोग किया गया है।

14. यदि तथ्यों के ऐसे विवादित प्रश्न हैं, तो वे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 147 के तहत आदेश पारित करने का आधार नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें केवल सिविल अधिकारिता के सक्षम न्यायालय द्वारा ही निर्णित किया जा सकता है।इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 147 के अंतर्गत मामला संख्या एम-582/2004 के तहत दिनांक 27.09.2013 और दिनांक 23.02.2022 को माननीय कार्यकारी मजिस्ट्रेट, सदर, रांची द्वारा भूमि के उपयोग के संबंध में स्थिति को बरकरार रखते हुए पारित विवादित आदेश , जिसे आई.ए. के माध्यम से चुनौती दी गई है, को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

15. ओ.पी. संख्या 2 और 3 को अपनी शिकायत का समाधान के लिए सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष जाने की स्वतंत्रता दी जाती है।

16. इस याचिका की अनुमति दी जाती है और उसका निपटारा किया जाता है।

(श्री संजय कुमार द्विवेदी, न्यायधीश)

अनिमेष
/ए.एफ.आर

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|